भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.2339**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते

2339. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो एफटीए के अंतर्गत दोनों देशों द्वारा चिह्नित किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी हां, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए। भारत-यूएई सीईपीए दिनांक 1 मई 2022 को लागू हुआ।

(ख): भारत-यूएई सीईपीए एक व्यापक करार है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, सेवाओं का व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), सैनिटरी और साइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, फार्मास्युटिकल उत्पाद शामिल हैं।

भारत और यूएई के बीच सीईपीए भारत (11,908) और यूएई (7,581) की वस्तुओं संबंधी लगभग सभी 8-अंकीय हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) टैरिफ लाइनों को कवर करता है। भारत को यूएई द्वारा लगभग 97% से अधिक टैरिफ लाइनों पर प्रदान की गई अधिमानी बाजार पहुंच से लाभ मिलता है, जो मूल्य के संदर्भ में यूएई को भारतीय निर्यात का 99% हिस्सा है।

सेवाओं के व्यापार के संबंध में, हालॉकि भारत ने लगभग 100 उप-क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन यूएई ने 111 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे 'व्यावसायिक सेवाएँ', 'संचार सेवाएँ', 'निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ', 'वितरण सेवाएँ', 'शैक्षणिक सेवाएँ', 'पर्यावरण सेवाएँ', 'वित्तीय सेवाएँ', 'स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएँ', 'पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएँ', 'मनोरंजक सांस्कृतिक और खेल सेवाएँ' और 'परिवहन सेवाएँ' से लगभग 111 उप-क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

(ग) से (घ): यह करार भारतीय और यूएई के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जिसमें बढ़ी हुई बाज़ार पहुँच और कम टैरिफ शामिल हैं। सीईपीए के लागू होने से द्विपक्षीय पण्यवस्तु व्यापार वर्ष 2023-24 में बढ़कर 83.65 बिलियन डॉलर हो गया है जो वर्ष 2021-22 में 72.88 बिलियन डॉलर था ।

****